



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274808
CG-DL-E-25072026-274808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948

No. 210]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

सं. 22/2026-27

विषय: कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत - यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत टीआरक्यू आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

फा. सं. संख्या – 01/89/180/110/एम-25/पीसी-2(ए)/ई-45719.— विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना संख्या 19/2026-27 दिनांक 09.07.2026 के क्रम में, महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्नलिखित उत्पादों के संबंध में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत-यूके सीईटीए के तहत दिनांक 21.07.2026 से 04.08.2026 तक प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं:

अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या प्रशुल्क मद	विवरण	प्रशुल्क डर कोटा (टीआरक्यू)
87032110, 87032191, 87032199, 87032210, 87032291, 87032299, 87032310, 87032391, 87032399, 87032410, 87032491, 87032499, 87033110, 87033191, 87033199, 87033210, 87033291, 87033299, 87033310, 87033391, 87033399	वे सभी सामान, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं किए गए हैं, और पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में आयात किए गए हैं:	(i) 1500 सीसी से कम इंजन क्षमता के साथ 2,329
		(ii) पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 1500 सीसी से अधिक लेकिन 3000 सीसी से कम अथवा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 1500 सीसी से अधिक लेकिन 2500 सीसी से कम इंजन क्षमता के साथ 2,329
		(iii) पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 3000 सीसी से अधिक अथवा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 2500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के साथ 4,658
87041010, 87042100, 87042200, 87042300, 87043100, 87043200	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन (इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन ईंधन वाहनों के अलावा), पूर्णतः निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में आयातित	1,164

2. इन वस्तुओं के लिए आयात प्रक्रिया को विदेश व्यापार नीति, 2023 (सार्वजनिक सूचना संख्या 19/2026-27 दिनांक 09.07.2026 के संदर्भ में) के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक-VII में उल्लिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगी।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारत - यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए टीआरक्यू के लिए नए आवेदन **21 जुलाई 2026 से 04 अगस्त 2026 तक** आमंत्रित किए जाते हैं।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th July, 2026

No. 22 /2026-27

Subject: Inviting TRQ Applications under India – United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) for Calendar Year (CY) 2026-reg.

F. No. 01/89/180/110/AM-25/PC-2(A)/E-45719.— In exercise of the powers conferred under paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, and in continuation of Public Notice No. 19/2026-27 dated 09.07.2026, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) hereby invites applications for Tariff Rate Quota (TRQ) allocation under the India-UK CETA for the CY 2026 on the following products from **21.07.2026** up to **04.08.2026**:

Chapter or heading or subheading or tariff item	Description	Tariff Rate Quota (TRQ) Quantity
87032110, 87032191, 87032199, 87032210, 87032291, 87032299, 87032310, 87032391, 87032399, 87032410, 87032491, 87032499, 87033110, 87033191, 87033199, 87033210, 87033291, 87033299, 87033310, 87033391, 87033399	All goods, which have not been registered anywhere prior to importation, and imported as a Completely Built Unit (CBU):	(i) with engine capacity not exceeding 1500 cc 2,329
		ii) with engine capacity exceeding 1500 cc but not exceeding 3000 cc for petrol-run vehicles or exceeding 1500 cc but not exceeding 2500 cc for diesel-run vehicles 2,329
		(iii) with engine capacity more than 3000 cc for petrol-run vehicles or more than 2500 cc for diesel-run vehicles 4,658
87041010, 87042100, 87042200, 87042300, 87043100, 87043200	Motor vehicles for the transport of goods (other than electric or hydrogen fuel vehicles), imported as a Completely Built Unit (CBU)	1,164

2. The imports procedure for the items will be permitted subject to the arrangements/ procedure mentioned in Annexure-VII of Appendix 2A of the FTP, 2023 (Refer to Public Notice No. 19/2026-27 dated 09.07.2026).

Effect of this Public Notice:

New applications for TRQ under India – United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) for CY 2026 are invited from **21st July 2026** up to **04th August 2026**.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.